भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

वित्तीय सेवाएं विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 4033

जिसका उत्तर सोमवार, 18 अगस्त, 2025/27 श्रावण, 1947 (शक) को दिया गया

उत्तराखंड में एमएसएमई के लिए ऋण गारंटी योजना

4033. श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत:

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि उत्तराखंड में एमएसएमई इकाइयों को पर्याप्त ऋण सुविधाएँ नहीं मिल रही हैं;

(ख) क्या सरकार द्वारा सीजीटीएमएसई (ऋण गारंटी योजना) के अंतर्गत उत्तराखंड को प्राथमिकता दी जा रही है;

(ग) क्या राज्य में निवेश को बढ़ावा देने के लिए कोई विशेष वित्तीय प्रोत्साहन योजना शुरू की गई है; और

(घ) क्या सरकार द्वारा जीएसटी रिफंड और ऋणों के सुगम संवितरण के लिए कोई निगरानी तंत्र स्थापित किया गया है?

उत्तर

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पंकज चौधरी)

(क): सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (एमएसएमई) क्षेत्र भारतीय अर्थव्यवस्था के एक अति जीवंत और गतिशील क्षेत्र के रूप में उभरा है जो उद्यमिता को बढ़ावा देता है और कृषि के बाद तुलनात्मक रूप से अपेक्षाकृत कम पूंजी लागत में रोजगार अवसरों को सृजित करता है। एमएसएमई क्षेत्र को सहायता देना भारत सरकार की प्राथमिक नीति रही है। उत्तराखंड सहित सभी राज्यों में किफायती रूप से एमएसएमई के लिए ऋण तक पहुंच को बढ़ाने के लिए कई उपाय किये गये हैं, जिन्हें अनुबंध में दिया गया है।

जैसा कि आरबीआई द्वारा सूचित किया गया है, दिनांक 31.3.2025 की स्थिति के अनुसार उत्तराखंड राज्य में अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों (एससीबी) का एमएसएमई ऋण बकाया राशि 53,164 करोड़ रुपये था। आरबीआई द्वारा आगे यह सूचित किया गया है कि आरबीआई के क्षेत्रीय कार्यालयों में एमएसएमई से संबंधित प्राधिकृत समिति का गठन क्षेत्रीय निदेशकों की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय समिति बैंकर समिति (एसएलबीसी) आयोजक, बैंक के वरिष्ठ अधिकारियों, भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (सिडबी) के प्रतिनिधियों, राज्य सरकार और उस राज्य में एमएसएमई संघों के साथ किया जाता है ताकि एमएसएमई वित्तपोषण की आवधिक समीक्षा के साथ-साथ दबावग्रस्त एमएसएमई की पुनरुद्धार और पुनर्वास किया जा सके।

जैसा कि राज्य स्तरीय बैंकर समिति (एसएलबीसी) उत्तराखंड द्वारा सूचित किया गया है वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए एमएसएमई ऋण का संवितरण 25,385 करोड़ था जबकि लक्ष्य 22,404 करोड़ रुपये था। वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए संवितरण का लक्ष्य 29,306 करोड़ रुपये है।

(ख): एमएसएमई मंत्रालय (एमओएमएसएमई) और सिडबी ने संयुक्त रूप से वर्ष 2000 में सूक्ष्म और मध्यम उद्यम के लिए ऋण गारंटी निधि न्यास (सीजीटीएमएसई) की स्थापना की ताकि सदस्य उधारदात्री संस्थाओं द्वारा सूक्ष्म और मध्यम उद्यमों (एमएसई) को प्रदान किए गए 10 करोड़ रुपये तक की कर्ज की ऋण गारंटी प्रदान की जा सके। जैसा कि एमओएमएसएमई द्वारा सूचित किया गया है दिनांक 31.7.2025 की स्थिति के अनुसार उत्तराखंड राज्य में संचयी आधार पर सीजीटीएमएसई योजना के अंतर्गत 11,168 करोड़ रुपये की लगभग 1.51 लाख गारंटी स्वीकृत की गई हैं। उत्तराखंड सहित सभी राज्यों में महिला उद्यमियों, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति उद्यमियों और दिव्यांगजनों, जेडईडी सर्टिफाइड एमएसएमई और आकांक्षी जिले/ऋण की कमी वाले जिले में स्थापित एमएसई सहित विशेष श्रेणियों में आने वाले एमएसई उधारदाताओं को इस योजना के अंतर्गत अतिरिक्त कवरेज और कम गारंटी शुल्क के माध्यम से सहायता प्रदान की गई है।

(ग): भारत सरकार उत्तराखंड सहित देश में एमएसएमई के लिए कई केन्द्रीय क्षेत्र वाले और मांग चालित योजनाओं/कार्यक्रमों का क्रियान्वयन करती है। इन योजनाओं/कार्यक्रमों में प्रधानमंत्री रोजगार उत्पादन कार्यक्रम (पीएमईजीपी), सूक्ष्म और मध्यम उद्यम के लिए ऋण गारंटी निधि न्यास (सीजीटीएमएसई), प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (पीएमएमवाई), पीएम विश्वकर्मा (पीएमवी), सूक्ष्म और मध्यम उद्यम-कलस्टर विकास कार्यक्रम (एमएसएमई-सीडीपी), रेजिंग एंड एक्सेलेरेटिंग एमएसएमई परफॉरमेंस (आरएएमपी), एमएसएमई चैम्पियन स्कीम इत्यादि शामिल हैं।

जैसा कि एमओएमएसएमई द्वारा सूचित किया गया है, भारत सरकार ने उन एमएसएमई में इक्विटी निधियन के रूप में 50,000 करोड़ रुपये निवेश करने के लिए निधियों की निधि, अर्थात आत्मनिर्भर भारत (एसआरआई) की घोषणा की है जिनमें वृद्धि करने और वृहत इकाई बनने की संभावना और अर्थक्षमता और 50,000 करोड़ रुपये की निधि की कुल मात्रा में भारत सरकार से 10,000 करोड़ रुपये और निजी इक्विटी/जोखिम भारित पूंजी निधि के माध्यम से 40,000 करोड़ रुपये का प्रावधान है। इस पहल का उद्देश्य एमएसएमई क्षेत्र के योग्य और पात्र इकाईयों को पूंजी वृद्धि प्रदान करना है। दिनांक 31.07.2025 की स्थिति के अनुसार, देशभर में 645 संभावित एमएसएमई को सहायता प्रदान की गई है जिसमें से उत्तराखंड राज्य में 5 एमएसएमई को सहायता प्रदान की गई है।

(घ): जैसा कि केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीआईसी) द्वारा सूचित किया गया है, सरकार ने जीएसटी रिफंड के लिए एक व्यापक बहुल श्रेणी वाले निगरानी तंत्र की स्थापना की है जिसमें निम्नांकित शामिल हैं:-

(i) एसएमएस अलर्ट और रियलटाइम स्थिति अद्यतनिकरण को सक्षम करते हुये आईजीएसटी रिफंड के लिए जीएसटीएन-आईसीईजीएटीई इंटीग्रेशन को सक्षम बनाया गया है।

(ii) रिफंड के प्रोसेसिंग को "सिंगल डिसब्सर्ड विंडो" और रिफंड प्रोसेसिंग की निर्धारित समय-सीमा लागू करके सरल बनाया गया है जिसमें अनंतिम रिफंड और 60 दिनों से अधिक की स्थिति में विलंब ब्याज शामिल है।

(iii) राजस्व सचिव की अध्यक्षता में जीएसटी प्रशासकों की राष्ट्रीय समन्वय बैठक आवधिक रूप से बुलायी जाती है जिसमें केन्द्र, राज्यों, संघ राज्य क्षेत्रों, जीएसटी परिषद सचिवालय और जीएसटीएन के सदस्य भाग लेते हैं ताकि समन्वय और किसी विशिष्ट शिकायत से संबंधित मुद्दे का समाधान किया जा सके।

(iv) शिकायतों इत्यादि का समाधान करने के लिए अंचल मुख्य आयुक्त और राज्य आयुक्त को शामिल करते हुये एक राज्य स्तरीय समन्वय समिति का गठन किया गया है।

(v) फाईल करने की प्रक्रिया, रिफंड प्रोसेस और स्वीकृत करने की प्रक्रिया को इलेक्ट्रॉनिक बनाने के साथ जीएसटी में रिफंड प्रोसेस को पूर्णत: इलेक्ट्रॉनिक कर दिया गया है।

(vi) आईजीएसटी रूट के भुगतान के साथ रिफंड, कस्टम प्राधिकारी से संवितरित रिफंड के मामले पूर्णत: स्वचलित हैं जबकि संचयी आईटीसी का रिफंड के रूट द्वारा रिफंड आवेदन आधारित है और इसका संवितरण समयबद्ध तरीके (60 दिनों के भीतर) से किया जाता है।

(vii) यह सुनिश्चित करने के लिए कि रिफंड की प्रोसेसिंग और उसका संवितरण समय पर किया जाता है। फील्ड फॉरमेशन को यह निदेश दिया गया है कि वे अंतिम स्वीकृति आदेश को फॉर्म आरएफडी-06 में और भुगतान आदेश को फॉर्म आरएफडी-05 में 45 दिनों के भीतर पारित करें ताकि उक्त राशि करदाता के खाते में 60 दिनों के भीतर, जैसा कि विधि में निर्धारित है, क्रेडिट हो सके।

(viii) जब कभी रिफंड की स्वीकृति प्रदान करने में विलंब होता है तो केन्द्रीय माल और सेवा कर 2017, दिनांक 28.06.2017 के अधिसूचना सं.13/2017-केन्द्रीय कर के साथ पठित में रिफंड के लिए आवेदन दायर करने की तिथि से 60 दिनों की अवधि से अधिक होने पर रिफंड के विलंबित भुगतान पर 6% की दर से ब्याज का उपबंध है।

******

अनुबंध

एमएसएमई के लिए वहनीय तरीके से ऋण तक पहुंच बढ़ाने के लिए किए गए विभिन्न उपाय

i. एमएसएमई क्षेत्र को ऋण देने के लिए विशिष्ट लक्ष्य भारतीय रिजर्व बैंक के प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र दिशानिर्देशों में निर्धारित किए गए हैं।

ii. अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों (एससीबी) को एमएसएमई क्षेत्र को दिए गए 10 लाख रुपये तक के ऋणों के लिए संपार्श्विक स्वीकार नहीं करने का आदेश दिया गया है।

iii. प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (पीएमएमवाई) योजना का शुभारंभ अप्रैल, 2015 में किया गया था जिसका उद्देश्य विनिर्माण, व्यापार और सेवा क्षेत्रों में आय सृजन गतिविधियों के लिए और होमस्टे सहित कृषि से संबद्ध गतिविधियों के लिए भी गैर-वित्त पोषित सूक्ष्म/लघु कारोबार इकाइयों को संस्थागत वित्तपोषण तक संपार्श्विक मुक्त पहुंच प्रदान करना है। हाल ही में, इस योजना के अंतर्गत पात्र ऋण राशि को दोगुना करके 20 लाख रुपये कर दिया गया है।

iv. बैंकों द्वारा 5 करोड़ रुपये तक की उधार सीमा के लिए इकाई के अनुमानित वार्षिक कारोबार के न्यूनतम 20% की सरलीकृत पद्धति के आधार पर एमएसई इकाइयों की कार्यशील पूंजी आवश्यकताओं की गणना की जाएगी।

v. सूक्ष्म और लघु उद्यमों को उनके लाइफ साइकल के दौरान समय पर और पर्याप्त ऋण प्रवाह को सुविधाजनक बनाने के लिए ऋण के प्रवाह को सरल बनाना।

vi. बैंकों को सलाह दी गई है कि एमएसई क्षेत्र में इकाइयों में 25 लाख रुपये तक के ऋण के लिए अधिकतम समय-सीमा 14 कार्य दिवस होगी।

vii. एमएसएमई को विलंबित भुगतान की समस्या का समाधान करने के लिए ट्रेड रिसीवेबल्स डिस्काउंटिंग सिस्टम (टीआरईडीएस) शुरू की गई है।

viii. मौद्रिक नीति के बेहतर प्रसारण के लिए आरबीआई ने बैंकों को दिनांक 01.10.2019 से एमएसई और दिनांक 01.04.2020 से मध्यम उद्यमों के लिए सभी नए फ्लोटिंग रेट वाले ऋणों को बाहरी बेंचमार्क से जोड़ने की सलाह दी है।

ix. भारतीय रिजर्व बैंक ने अकाउन्ट एग्रीगेटर (एए) ढांचे को सुगम बनाया है जिसके अंतर्गत ग्राहक की वित्तीय आस्तियों से संबंधित सूचना ऐसी सूचना धारकों (वित्तीय सूचना प्रदाताओं) से एकत्र की जाती है और ऋण आवेदनों पर तेजी से कार्रवाई करने के लिए ग्राहकों अथवा विनिर्दिष्ट प्रयोक्ताओं (वित्तीय सूचना प्रयोक्ताओं) को प्रस्तुत की जाती है।

x. आरबीआई ने यूनिफाइड लेंडिंग इंटरफेस (यूएलआई) विकसित किया है, जिसे पहले प्रतिरोध रहित क्रेडिट के लिए पब्लिक टेक प्लेटफॉर्म (पीटीपीएफसी) के रूप में जाना जाता था, जो दस्तावेज़ीकरण आवश्यकताओं को कम करके और ऋण आवेदन प्रक्रिया को सरल बनाकर छोटे कारोबारों जैसे अल्पसेवितों के लिए ऋण को अधिक सुकर बनाकर भारत में ऋण परिदृश्य को बदलने के लिए तैयार है।

xi. जैसा कि केंद्रीय बजट 2024-25 में घोषणा की गई थी, केंद्रीय वित्त मंत्री ने 6 मार्च, 2025 को एमएसएमई के लिए नया क्रेडिट मूल्यांकन मॉडल का शुभारंभ किया था। यह मॉडल डिजिटल रूप से प्राप्त और सत्यापन योग्य

डेटा का उपयोग करता है और सभी ऋण आवेदनों के लिए वस्तुनिष्ठ निर्णयन का और एग्जिस्टिंग टू बैंक (ईटीबी) के साथ-साथ न्यू टू बैंक (एनटीबी) एमएसएमई उधारकर्ताओं दोनों के लिए मॉडल-आधारित सीमा मूल्यांकन का उपयोग करके एमएसएमई ऋण मूल्यांकन के लिए स्वचालित प्रक्रिया तैयार करता है। इस मॉडल के उपयोग से एमएसएमई को होने वाले लाभों में ऑनलाइन मोड के माध्यम से कहीं से भी आवेदन जमा करना, कागजी कार्रवाई और शाखा के दौरे में कमी, डिजिटल मोड के माध्यम से तत्काल सैद्धांतिक मंजूरी, क्रेडिट प्रस्तावों की निर्बाध प्रक्रिया, टीएटी में कमी, वस्तुनिष्ठ डेटा/लेन-देन संबंधी व्यवहार के आधार पर ऋण निर्णय शामिल हैं।

xii. एमएसएमई क्षेत्र को ऋण प्रवाह में सहायता करने के लिए विभिन्न क्रेडिट गारंटी योजनाएं जैसे सूक्ष्म इकाइयों के लिए क्रेडिट गारंटी फंड (सीजीएफएमयू), स्टैंड-अप इंडिया के लिए क्रेडिट गारंटी फंड (सीजीएफएसआई), स्टार्टअप्स के लिए क्रेडिट गारंटी योजना (सीजीएसएस) आदि का शुभारंभ किया गया है।

xiii. एमएसएमई के लिए पारस्परिक ऋण गारंटी योजना (एमसीजीएस-एमएसएमई) का उपकरण/मशीनरी की खरीद के लिए योजना के अंतर्गत पात्र एमएसएमई को स्वीकृत 100 करोड़ रुपये तक की क्रेडिट सुविधा के लिए 60% गारंटी कवरेज प्रदान करने हेतु शुभारंभ किया गया है।

xiv. "ऋणों के आसान संवितरण" के मामले में बैंकों के पास ग्राहकों द्वारा दायर जीएसटी रिटर्न के आधार पर वित्तपोषण के लिए विभिन्न योजनाएं हैं जो ऋणों की त्वरित मंजूरी/संवितरण को सक्षम बनाती हैं।